कृषि मंत्रालय मे कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1986-87 के लिए उत्पादन लक्ष्य 140 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया था और वास्तविक उत्पादन का अनुमान 13 लाख मीटरी टन पर लगाया गया है।

(ग) सातवी योजना के अंतिम वर्ष 1989-90 के लिए उत्पादन का लक्ष्य 150-160 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है।

(घ) उत्पादन के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम शुरू किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की उत्पादन नीति नीचे दी गई है --

(1) अरहर-गेहूं के फसल-चक्र मे अरहर की अल्पावधि किस्मो के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना,

(2) सिचित क्षेत्रो मे ग्रीष्म दलहन की फसलो का प्रारम्भ।

(3) अवशिष्ट आर्द्रता का उपयोग के चावल की परती मे दलहनो की खेती करना।

(4) धान्यो और नकदी फसलो के साथ दलहनो का अन्तः सस्यन।

(5) बीजो, उर्वरको, पौध सरक्षण उपायो, राइजोबियम कल्चर आदि जैसे आदानो का उपयोग बढ़ाना।

पुरी जिले में आदिवासियों पर अत्याचार

3849. **श्री अजीत सिंह : क्या कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1987 के अंतिम सप्ताह मे पुरी जिले के बारा पोखरिया ग्राम मे अनेक आदिवासियो पर हमले किए गए और उनके आवासों को जला दिया गया,

(ख) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है, और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृति को रोकने तथा आदिवासियो को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या विशेष कदम उठाए है?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

आवासों के निर्माण हेतु उच्च स्तरीय समिति

3850. **श्री अजीत सिंह : क्या शहरी** शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवासों के निर्माण के लिए नक्शो को स्वीकृत करने तथा अन्य संबंधित प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सरल एवं उदार बनाने के सुझाव देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हा, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और क्या इस समिति से अपना प्रतिवेदन निर्धारित समय मे प्रस्तुत कर देने के लिए कहा गया है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) विद्यमान भवन निर्माण नियत्रण विनियमनो का पुनरीकरण करने तथा बेहतर एव शीघ्र निर्माण गतिविधियो के लिए उनमे सशोधन करने/सुव्यवस्थीकरण/उदार बनाने के उपाय सुझाने के लिए दिनाक 14-10-87 के दिल्ली प्रशासन के आदेशानुसार उपराज्यपाल द्वारा दस सदस्यो की एक समिति गठित की गई है। समिति से कहा गया है कि वह 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।